**संख्या-373/2021/176(आ0)/23-11-2021-1/2(19)/2019**

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-11** **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2021**

**विषय:-** जनपद वाराणसी में पुराना राष्ट्रीय मार्ग (एन0एच0-2) का शहरी भाग (बिहार बार्डर सेक्शन) कैन्ट पडाव के चैनेज 0.860 से चैनेज 5.345, 5.370 से 6.000 एवं 7.100 से 8.000 तक चौड़ीकरण कार्य (लम्बाई 6.015 किमी0) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 121पी0जे011/15पी0जे0(3)/21 दिनांक 19-02-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में पुराना राष्ट्रीय मार्ग (एन0एच0-2) का शहरी भाग (बिहार बार्डर सेक्शन) कैन्ट पडाव के चैनेज 0.860 से चैनेज 5.345, 5.370 से 6.000 एवं 7.100 से 8.000 तक चौड़ीकरण कार्य (लम्बाई 6.015 किमी0) की मूल स्वीकृति शासनादेश सं०-63/2019/48(1)/23-11-2019-1/2(19)/2019, दिनांक 10-03-2019 द्वारा लागत रू0 1711.01 लाख प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की लागत में वृद्धि होने के कारण पुनरीक्षित आंकलित लागत रू0 1866.16 लाख (रूपये अठ्ठारह करोड़ छाछठ लाख सोलह हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 | कार्य का नाम | मूल स्वीकृत लागत | पुनरीक्षित स्वीकृत लागत |
|---|---|---|---|
| 1 | जनपद वाराणसी में पुराना राष्ट्रीय मार्ग (एन0एच0-2) का शहरी भाग (बिहार बार्डर सेक्शन) कैन्ट पडाव के चैनेज 0.860 से चैनेज 5.345, 5.370 से 6.000 एवं 7.100 से 8.000 तक चौड़ीकरण कार्य (लम्बाई 6.015 किमी0) | 1711.01 | 1866.16 |

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23-/दस-2011-74(4)/75/11, दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी की श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7) विभाग द्वारा मूल्यह्रास आरक्षित निधि के अन्तर्गत 1.50 प्रतिशत की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा की जायेगी।

(8) प्रस्तावित कार्य की लागत में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रयोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 से सम्मिलित न हो।

(9) विभागीय व्यय समिति द्वारा लगायी गयी शर्त का पूर्णतया: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मार्गो को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(11) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(12) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-03-2020 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत कार्य पर उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(15) उक्त परियोजना के संबंध मे प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या-63/2019/48(1)/23-11-2019-1/2(19)/2019, दिनांक 10-03-2019 की शेष प्रतिबन्ध/ शर्ते यथावत रहेंगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एक मुश्त व्यवस्था-1323-राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-13-राज्य प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यो हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग से अशासकीय पत्र संख्या-ई-8- /दस-2021, दिनांक मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से प्राप्त किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

**<u>संख्या-373/2021/176(आ0)(1)/23-11-2021-तद् दिनांक।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- डेटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल्।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।